नईदुनिया

महिलाओं और बच्चों के भविष्य को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा समान नागरिक संहिता कानून

डॉ. विश्वास तिवारी

केंद्र सरकार की प्राथमिकता में 'एक देश एक चुनाव' और 'समान नागरिक संहिता' काफी समय से थी, लंबी कवायद के बाद मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया पारित भी करा लिया गया। अब इसे प्रदेश में लागू करने के लिए राज्यपाल से अनुमोदन करा कर राष्ट्रपति के पास भेजकर उनकी मंजूरी का इंतजार है। इसी वर्ष फरवरी में मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए। उनकी इसी बात को गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन भागवत ने इस विधेयक के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जिसमें 10 लाख लोगों की राय ली गई है। भाजपा शासित गुजरात, उत्तराखंड और असम के बाद अब मध्यप्रदेश ने भी इसे लागू करने की शुरूआत कर दी है। यह कानून लागू करने में प्रदेश सरकार के मुखिया की इच्छाशक्ति का परिणाम है और इसे केंद्र सरकार का साथ मिला है।

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राम से लेकर रहीम तक सबके लिए एक ही कानून रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब मध्यप्रदेश में अब तुष्टिकरण और पर्सनल लॉ का अंत होगा और अब मध्यप्रदेश में केवल एक विवाह वाला व्यक्ति ही रह पाएगा। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में ही मुस्लिम अधिनियम पारित कर दिया था जिसमें तीन तलाक को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया था और दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया था।

यूसीसी लागू करने का मकसद किसी धर्म या उसकी परंपरा में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि नागरिक जीवन से जुड़े कानून में एक समानता विकसित करना है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद -44 के तहत आती है जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी राज्य भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। यूसीसी भारत के लिए एक कानून बनाने का प्रयास करेंगे जो विवाह, विरासत, तलाक, हलाला, लिव इन और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा।

सैरोगेसी और लिव-इन से होंने वाले बच्चों का भी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा और इन्हें समाज में नजायज नहीं कहा जा सकेगा। लिव-इन में रहने वाला अगर अपने पार्टनर को छोड़ देता है, तो उसे महिला को

यूसीसी को लेकर समाज में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसे लागू करने के बाद उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। यह कानून किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह बात लोगों को समझानी होगी। इस कार्य में धर्म गुरूओं की भी मदद ली जा सकती है। इससे उनके धर्म के लोग इस कानून के फायदों के बारे में जल्दी समझेंगे। इस कानून से आदिवासी वर्ग को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उनकी मान्यताएं, संस्कृति और परंपराएं सबसे भिन्न होती है और इन्हें इनकी पहचान को संरक्षित करना जरूरी है।

भरण-पोषण देना पड़ सकता है।

यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है जिसमें नागरिकों के अधिकार धर्म के अनुसार अलग-अलग न होकर एक समान होने चाहिए का प्रावधान है। संविधान के अनुसार धार्मिक स्वंतत्रता और नागरिक कानून दोनों अलग-अलग विषय है। धार्मिक संस्कार, पूजा विधि और आस्था संवधिान के अनुच्छेद -25 के संरक्षण में है, जबकि यूसीसी हर धर्म के नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों की समान व्यवस्था की व्याख्या करती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिलेगा। संपत्ति में अधिकार, भरण-पोषण और पारिवारिक विवादों में इनके लिए न्याय व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाएगी। इससे पारिवारिक मुकदमों की जटिलता कम होगी और मुकदमें जल्दी समाप्त होंगे। अगर कोई विवाहित व्यक्ति लिव-इन संबंध में रहता है तो इसमें पांच वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। पिछले कुछ वर्षों से मध्यप्रदेश में लव- जिहाद के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, खासकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में। लव-जिहाद की शिकार होने वाली लड़कियां ज्यादातर हिंदू होती है। अपना गलत नाम बताकर यह लड़कियां साथ लिव-इन में रहने लगते है और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन पर जुल्म करते है और उन्हें और उनके परिवार को ब्लैक-मेल करते है। कई बार तो यह अपराध उनके घर-परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को फंसाकर उनका भी दैहिक शोषण करते है।

यूसीसी कानून के लागू होने के बाद लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को पंजीयन कराना होगा जिससे लड़कों के धर्म की जानकारी सामने आ जाएगी। पत्नी के रहते हुए किसी की भी दूसरी शादी नहीं हो सकेंगी। इस कानून से विवाह और विवाह विच्छेद (तलाक) के अलावा वसीयत और गोद लेने की व्यवस्था में भी बदलाव किए गए है। मुसलमानों में वसीयत का तीन - चौथाई से ज्यादा नहीं लिख पाने की बाध्यता भी इस कानून में समाप्त कर दी गई है।

यूसीसी को लेकर समाज में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसे लागू करने के बाद उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। यह कानून किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह बात लोगों को समझानी होगी। इस कार्य में धर्म गुरूओं की भी मदद ली जा सकती है। इससे उनके धर्म के लोग इस कानून के फायदों के बारे में जल्दी समझेंगे। इस कानून से आदिवासी वर्ग को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उनकी मान्यताएं, संस्कृति और परंपराएं सबसे भिन्न होती है और इन्हें इनकी पहचान को संरक्षित करना जरूरी है।

मध्यप्रदेश की कुल आबादी में आदिवासी वर्ग करीब 22 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और 80 सीटों पर इस समाज का प्रभाव है। विपक्ष की सरकार को घेरने का मौका न मिले इसलिए इन पर यूसीसी कानून लागू नहीं होगा।

यह कानून निश्चित तौर पर महिलाओं और बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और किसी को भी इस कानून पर अफवाह फैलाने से पहले खुद समझना होगा।

गांवों का विकास सिर्फ कागजों पर

मध्यप्रदेश सरकार हर साल दावा करती है कि गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हजारों करोड़ का बजट पास होता है, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं और हर मंच से कहा जाता है कि अब गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। ताजा महालेखाकार की रिपोर्ट ने सरकार के इन दावों की पोल खोल दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों ने मिलकर 28,504 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन इस पैसे का कोई स्पष्ट हिसाब-किताब नहीं है। न काम दिख रहा है, न रिकॉर्ड मिल रहा है और न ही अधिकारी जवाब दे रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अकेले पंचायती राज विभाग का बजट 20,453 करोड़ रुपये था और ग्रामीण विकास विभाग का बजट 8,051 करोड़ रुपये। यानी कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि कि प्रदेश के हर गांव की सूरत बदली जा सकती थी। हर गांव में पक्की सड़क, हर घर में नल का पानी, हर स्कूल में शिक्षक और हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध हो सकते थे। लेकिन आज भी अधिकांश गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़कें टूटी हैं, नालियां जाम हैं, पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है और अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलतीं। आखिर इतना पैसा गया कहां?

महालेखाकार की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इन दोनों विभागों के खर्च का सही ऑडिट उपलब्ध नहीं है। कई जिलों में फर्जी बिल बनाकर भुगतान कर दिया गया। कई जगह काम हुआ ही नहीं, लेकिन कागजों पर पूरा दिखा दिया गया। कई स्थानों पर सामग्री खरीदी ही नहीं गई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि कर दी गई। ऐसी अनियमितताओं के कारण हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें घूम रही हैं।

ग्रामीण विकास की योजनाओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं में करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन नतीजे निराशाजनक हैं। कई जगह आवास अधूरे पड़े हैं, कई गांवों में शौचालय बने ही नहीं हैं। मनरेगा में फर्जी

मजदूर दिखाकर पैसा निकाला गया है और पंचायतों को मिलने वाला पैसा भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि सरपंचों और सचिवों को न तकनीकी जानकारी है और न ही पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग। वे पूरी तरह अधिकारियों और ठेकेदारों के भरोसे हैं।

इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि हर चुनाव में नेता आकर बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई झांकने भी नहीं आता। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। लोग पूछते हैं कि अगर इतना बजट खर्च हो रहा है तो फिर गांवों की हालत क्यों नहीं सुधर रही? इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि मंशा और निगरानी की भी है। सरकार बजट तो बढ़ा देती है, लेकिन यह नहीं देखती कि वह पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं है, जिसके कारण फाइलें महीनों तक अटकी रहती हैं। पंचायतों को अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन संसाधन और प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसलिए वे योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रही हैं।

सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हर गांव में एक सार्वजनिक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें लिखा हो कि इस वर्ष कितना पैसा आया और किस काम में खर्च हुआ। दूसरा, महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरा, सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया जाए, ताकि गांव के लोग स्वयं तय करें कि उनके गांव में क्या काम हुआ और क्या नहीं। पंचायतों को तकनीकी मदद और प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे योजनाओं को सही तरीके से लागू कर सकें।

अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो गांवों और शहरों के बीच की खाई और बढ़ती जाएगी। सरकार के सारे दावे खोखले साबित होंगे और ग्रामीण जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। मध्यप्रदेश को तभी विकसित राज्य कहा जा सकता है, जब उसके गांव वास्तव में विकसित हों, न कि सिर्फ कागजों पर।

गांव देश की रीढ़ हैं। अगर रीढ़ कमजोर होगी तो पूरा शरीर बीमार रहेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार दावों से आगे बढ़कर काम करे और यह साबित करे कि गांवों के लिए आवंटित हर रुपया वास्तव में गांव तक पहुंच रहा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

हर माह अस्पतालों में पहुंच रहे हैं सैकड़ों मरीज

दूषित भोजन, पानी और असुरक्षित आदतों से बढ़ा हेपेटाइटिस का खतरा

मध्यप्रदेश में हेपेटाइटिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह अब केवल मौसमी बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों में हर माह 50 से 60 नए मरीज हेपेटाइटिस के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस बीमारी के मामलों में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब यह बीमारी केवल वयस्कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसका मुख्य कारण दूषित भोजन, दूषित पानी और लोगों की लापरवाह जीवनशैली है।

हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जो लीवर को प्रभावित करती है और समय पर इलाज न मिलने पर लीवर फेलियर तक की नौबत आ सकती है। इसके कई प्रकार हैं—हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। इनमें हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध तथा असुरक्षित चिकित्सा उपकरणों के उपयोग से फैलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में सबसे अधिक मामले हेपेटाइटिस ए और ई के सामने आ रहे हैं, जिनका सीधा संबंध गंदे पानी और साफ-सफाई की कमी से है।

बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इस दौरान नालियों का पानी पेयजल में मिल जाता है और सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों में भी गंदगी बढ़ जाती है। अस्पतालों के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभागों में प्रतिदिन मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। अधिकांश मरीज उल्टी, दस्त, बुखार और पीलिया की शिकायत लेकर आते हैं। जांच में पता चलता है कि वे हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने के कारण कई मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे इलाज में अधिक समय और खर्च लगता है।

शहरों में तेजी से बढ़ती बाहर खाने की संस्कृति ने भी इस बीमारी को बढ़ावा दिया है। स्ट्रीट फूड, ठेलों और कई रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले पानी और बर्तनों की सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कई स्थानों पर एक ही तेल में बार-बार खाद्य पदार्थ तले जाते हैं और बासी भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा टैटू बनवाना, बिना जांच के रक्त चढ़वाना और एक ही सिरिंज का दोबारा उपयोग करना भी हेपेटाइटिस बी और सी के प्रमुख कारण हैं। युवाओं में टैटू और बॉडी पियर्सिंग का बढ़ता चलन भी चिंता का विषय है, क्योंकि अनेक स्थानों पर स्टरलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं किया जाता।

हेपेटाइटिस से बचाव पूरी तरह संभव है, यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए। सबसे पहले पीने के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। उबला हुआ या शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बाहर भोजन करने से पहले उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना जरूरी है। कच्ची सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करना चाहिए। खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने की आदत संक्रमण से बचाव का सरल और प्रभावी उपाय है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। यह टीका बच्चों को जन्म के समय लगाया जाता है, लेकिन वयस्क भी इसे लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए का टीका भी उपलब्ध है।

सरकार की ओर से भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पानी, हाथ धोने और साफ-सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर लगे वाटर कूलर और हैंडपंप के पानी की नियमित जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि, इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना पालन हो रहा है, यह अभी भी बड़ा सवाल है।

केवल सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि हम स्वच्छ पानी पिएं, साफ भोजन करें, हाथ धोने की आदत अपनाएं और लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से संपर्क करें, तो हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। साफ पानी, स्वच्छ भोजन और सुरक्षित आदतें ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय हैं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

टैक्स की आदत से बन रहा नया मध्यप्रदेश

देश में टैक्स फाइलिंग को लेकर जो माहौल बन रहा है, वह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और जिम्मेदारी का बदलता हुआ चेहरा है। कभी रिटर्न भरना केवल बड़े व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों की मजबूरी माना जाता था, लेकिन अब आम नागरिक भी इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने लगा है। मध्यप्रदेश में इस बदलाव की झलक सबसे साफ दिखाई दे रही है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिए हैं और अंतिम तिथि 31 जुलाई तक यह संख्या 40 लाख के पार जाने की उम्मीद है। यह वृद्धि केवल संख्या नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि करदाता अब जागरूक हुआ है और सरकार पर उसका भरोसा बढ़ा है।

इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण सरल और पारदर्शी व्यवस्था है। पहले रिटर्न भरना एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती थी। फॉर्म समझ नहीं आते थे, दस्तावेज इकट्ठा करने में दिक्कत होती थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट पर निर्भरता बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑटो-फिल की सुविधा ने काम को आसान कर दिया है। फॉर्म-16, फॉर्म-26एएस और बैंक लेनदेन की जानकारी पहले से पोर्टल पर उपलब्ध होती है, जिससे करदाता को सिर्फ जांच कर सबमिट करना होता है। सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिली है और वह भी अब बिना डर के रिटर्न भर रहा है। टीडीएस रिफंड सीधे बैंक खाते में आने लगा है, जिससे लोगों को लगा कि टैक्स देना बेकार नहीं जाता, बल्कि उसका लाभ वापस मिलता है।

मध्यप्रदेश में यह जागरूकता शहरों के साथ-साथ कस्बों और गांवों तक पहुंची है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तो रिटर्न की रफ्तार पहले से तेज थी, लेकिन अब सागर, रीवा, सतना और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में भी लोग समय पर रिटर्न भर रहे हैं। इसका कारण सरकारी योजनाओं से जुड़ाव भी है। आज लोन, पासपोर्ट, वीजा और सरकारी सब्सिडी के लिए आय प्रमाण के रूप में आयकर रिटर्न मांगा जाता है। इसलिए युवा वर्ग और स्वरोजगार करने वाले लोग भी इसे जरूरी मानने लगे हैं। महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में रिटर्न भर रही हैं, क्योंकि वे स्वावलंबी बन रही हैं और अपनी आय का हिसाब रखना चाहती हैं।

लेकिन हर अच्छी शुरुआत के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इस बार सबसे बड़ी चुनौती आयकर विभाग के सर्वर की बनी है। अंतिम तिथि नजदीक आते ही पोर्टल पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि वेबसाइट धीमी हो जाती है, फाइल अपलोड नहीं होती और कई बार घंटों तक लॉगिन ही नहीं हो पाता। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि वे रात-रात भर जागकर रिटर्न भरते हैं, लेकिन सर्वर की वजह से काम अटक जाता है। करदाता भी परेशान हैं, क्योंकि देर से रिटर्न भरने पर लेट फीस लगती है और कुछ छूटें भी हाथ से निकल जाती हैं। 5,000 रुपये तक की लेट फीस का प्रावधान है और कम आय वाले करदाताओं के लिए यह 1,000 रुपये है। इसलिए लोग अंतिम समय का

इंतजार नहीं करना चाहते।

आयकर विभाग ने इन दिक्कतों को स्वीकार किया है और कहा है कि सर्वर की क्षमता बढ़ाई गई है तथा अतिरिक्त तकनीकी टीम लगाई गई है। विभाग लगातार अपील कर रहा है कि लोग अंतिम दिन का इंतजार न करें और जल्द रिटर्न भरें। विभाग का तर्क भी सही है, क्योंकि अंतिम तीन-चार दिनों में करोड़ों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, तो कोई भी सिस्टम लड़खड़ा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब हर साल यही स्थिति बनती है, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं होती? क्यों न पहले से सर्वर अपग्रेड किया जाए और लोगों को पहले से जागरूक किया जाए, ताकि भीड़ अंतिम समय में न लगे?

टैक्स संग्रह के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों में ही प्रदेश से 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। भोपाल मंडल ने तो 97 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है और इस वर्ष 32 हजार 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 31 हजार 67 करोड़ रुपये था। यानी वृद्धि साफ दिखाई दे रही है। यह पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होता है। इसलिए जब कोई नागरिक रिटर्न भरता है, तो वह केवल फॉर्म नहीं भरता, बल्कि अपने राज्य के विकास में योगदान देता है।

रिटर्न फाइलिंग बढ़ने का एक कारण विभाग की सख्ती और तकनीक भी है। अब हर बड़ा लेनदेन, बैंक जमा और निवेश की जानकारी सीधे विभाग के पास पहुंच जाती है। इसलिए जो लोग पहले बचते थे, उन्हें भी अब नोटिस मिल रहा है। दूसरी ओर विभाग ने रिफंड प्रक्रिया को तेज किया है। पिछले साल 168 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था और इस साल भी यह प्रक्रिया और तेज हुई है। जब पैसा समय पर वापस आता है, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और वे अगली बार भी समय पर रिटर्न भरते हैं।

फिर भी कुछ क्षेत्रों में काम बाकी है। ग्रामीण इलाकों में अब भी डिजिटल साक्षरता की कमी है। वहां के लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से डरते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस देने में असमर्थ होते हैं। कई बार फॉर्म में छोटी गलती से पूरा रिटर्न निरस्त हो जाता है और दोबारा भरना पड़ता है। वेतनभोगियों को कई बार फॉर्म-16 समय पर नहीं मिलता, जिससे वे देर से रिटर्न भरते हैं। इन समस्याओं के लिए सरकार को और अधिक जागरूकता अभियान चलाने होंगे। स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं करनी होंगी, ताकि हर नागरिक समझ सके कि रिटर्न भरना कठिन नहीं है। आयकर विभाग ने इस बार सोशल मीडिया, वेबिनार और हेल्पलाइन के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की है और उसका असर भी दिख रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और समय पर काम कर रहे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जब नागरिक और सरकार के बीच संवाद बढ़ता है, तो भरोसा भी बढ़ता है और व्यवस्था भी मजबूत होती है।

टैक्स देना अब बोझ नहीं रहा, बल्कि यह गर्व की बात बन गई है। जब 40 लाख लोग रिटर्न भरते हैं, तो इसका मतलब है कि 40 लाख लोग अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं। वे जानते हैं कि उनके दिए हुए टैक्स से ही गांव में सड़क बनती है, स्कूल में शिक्षक आता है और अस्पताल में दवा मिलती है। मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार रही, तो आने वाले वर्षों में हमारा राज्य न केवल टैक्स संग्रह में, बल्कि कर संस्कृति में भी देश के लिए उदाहरण बनेगा।

बची हुई अवधि में भी लोग समय रहते रिटर्न दाखिल करें। सर्वर की समस्या को लेकर घबराएं नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करें और विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। क्योंकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक मजबूत समाज, दोनों तभी बनेंगे, जब हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। टैक्स की आदत से ही नया मध्यप्रदेश बन रहा है और यह बदलाव हर नागरिक की भागीदारी से संभव हो रहा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)